

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज०)  
पीठासीन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित, आई०ए०एस०

मि०नं० 08 /अपील (आर०टी०आई)/2022

लोकेश नागर आ० नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर  
बनाम  
लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार उप तहसील सारोलाकला  
अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



—: निर्णय :-

दिनांक: 22.02.2022

अपीलान्त द्वारा यह अपील अपीलान्त को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्त ने अपील में निवेदन किया कि अपीलान्त ने 1. ग्राम मालनवासा उप तहसील सारोलाकला की आराजी ख०न० 937,970,971 पर वर्ष 1970 से लेकर 12.11.2021 के मध्य स्वीकृत करवाये गये विरासत नामान्तरकरण के सम्बन्ध में सारणी बाईज जानकारी 102. ग्राम मालनवासा की आराजी ख०न० 937,970,971 पर खातेदार कोशल्या बाई पुत्री भेरिया विशनी बाई पत्नी भेरिया जिसका अ०वि०नामान्तरण संख्या 1545 का फोटो इन्तकाल स्वीकृत करवाने बाबत प्रस्तुत दस्तावेज आदि की प्रमाणित प्रति साथ इस दौरान कार्यरत पटवारी का नाम पिता सहित पता का विवरण 103 ग्राम मालनवासा की आराजी ख०न० 937,970,971 पर खातेदार लछमन पुत्र मोत्या के वारिसान व अन्य खातेदार नारायण के वारिसान द्वारा नामान्तरण स्वीकृत करवाने बाबत प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। 04. (अ)उक्तानुसार आराजी पर इस दौरान नामान्तरण या अन्य वाद दर्ज करवाने बाबत किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का वाद दायर किया हो या नहीं किया गया हो तो इसकी सूचना व फौसले की प्रतियां। 05. उक्तानुसार ग्राम मालनवासा की आराजी ख०न० 937,970,971 पर दर्ज खातेदारों की जाति मोंगिया(मोग्या) राजस्थान राज्य की सूची के अनुसार जिस वर्ग/श्रेणी में आति है उसकी जानकारी व सम्पूर्ण लिस्ट की प्रति। 06. उपतहसील सारोलाकला के खुलने से दिनांक 12.11.2021 तक नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित रहे अधिकारी का नाम पिता का नाम शैक्षणिक योग्यता वर्तमान के नियुक्ति स्थान का विवरण। 07. उपतहसील सारोलाकला के खुलने से दिनांक 12.11.2021 तक पटवारी के पद पर पदस्थापित रहे पटवारी का नाम, पिता का नाम शैक्षणिक योग्यता वर्तमान के नियुक्ति स्थान का विवरण। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील खानपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार उप तहसील सारोलाकला को नोटिस भिजवाया जाकर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया व इसी तरह अपीलान्त को भी दिनांक 22.02.2022 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्त बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनका पक्ष नहीं सुना जा सका।

लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी नायब तहसीलदार उप तहसील सारोलाकला की ओर से नायब तहसीलदार खानपुर को भिजवाया जाकर पत्रांक 70/एलआर/22 दिनांक 22.02.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलान्त द्वारा चाहे गये 01. पैशानी अनुसार सूचना तैयार की गई है व अन्य जानकारी व्यक्तिगत है व उपखण्ड कार्यालय से सम्बन्धित होना अवगत कराया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नायब तहसीलदार उपतहसील सारोलाकला से बाह्य रिकार्ड सन्धारण उपरान्त ही उपलब्ध कराया जा सकता है जो उनके द्वारा पूर्व से सन्धारित नहीं किया जाना साबित है। प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। इसी प्रकार माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग का प्रकरण संख्या सी०आई०सी०/ए०टी०ए०/ 2006/000588 विभोर दिलिप बरला बनाम केन्द्रीय एक्सार्ज एंव कस्टमस् नासिक में दिनांक 30.11.2006 को पारित निर्णय अनुसार भी लोक सूचना अधिकारी का यह कार्य नहीं है कि वह जांच या अनुसंधान प्रारम्भ करें या प्रार्थी के प्रश्नों के सुझावत्मक उत्तर तैयार करें। पी०आई०ओ० केवल उपलब्ध सूचना को प्रकट करने के लिये बाध्य है। ऐसी स्थिति में अपील के माध्यम से अपीलार्थी को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तामील तकमील दाखिल कर्त हो।

निर्णय आज दिनांक: 22.02.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)  
जिला कलक्टर अपील अधिकारी  
जिला झालावाड़, झालावाड़

क्रमांक: 111-13 / रीडर/22

दिनांक 3.3.2022

प्रतिलिपी- 01.प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्टर,झालावाड़  
02.लोक सूचना अधिकारी, नायब तहसीलदार सारोलाकला,तहसील,खानपुर  
03.लोकेश नागर आ० नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर

प्रथम अपील अधिकारी  
जिला कलक्टर,झालावाड़